



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2017/

भिलाई, दिनांक :

अधिसूचना

अध्यादेशों में संशोधन के अनुसार Bachelor of Engineering (B.E.), Bachelor of Architecture (B. Arch.) एवं Diploma in Pharmacy (D. Pharma) के पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि क्रमशः 8 वर्ष, 10 वर्ष एवं 4 वर्ष निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 15.02.2017 में लिए गये निर्णयानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि Bachelor of Engineering, Bachelor of Architecture एवं Diploma in Pharmacy के वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि निम्नानुसार होगी :-

पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेशित सत्र	पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की समय-सीमा
Bachelor of Engineering	2011-12 या पूर्व प्रवेशित	मई - जून 2019
Bachelor of Architecture	2009-10 या पूर्व प्रवेशित	मई - जून 2019
Diploma in Pharmacy	2015-16 या पूर्व प्रवेशित	मई - जून 2019

अन्य छात्रों के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि के लिये अध्यादेशों के संशोधित नियम लागू होंगे।

कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2017/2302

भिलाई, दिनांक : 23.10.17

प्रतिलिपि :

1. प्राचार्य/डायरेक्टर, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
3. निज सहायक मा. कुलपति।
4. मास्टर फाइल।

कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई